रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 1995/ज्येष्ठ 9, 1917

No. 305] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 1995/JYAISTHA 9, 1917

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1995

का.आ. 476 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, जिसने यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की सरकार से आपराधिक मामलों के संबंध में यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड में किसी व्यक्ति को समन या वारंट की तामील के लिए ठहराव कर रखे हैं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अनुसरण में निदेश देती है कि—

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम समन, या

(ख) किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट, या

(ग) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला ऐसा कोई समन कि वह हाजिर हो और कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे अथवा उसे पेश करे, या

(घ) तलाशी वारंट

सक्षम दण्ड न्यायालय को, जिसे उस देश में प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त हैं, यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड में केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से उस न्यायालय को दो प्रतियों में यह निदेश देते हुए जारी किया जाएगा कि वह ऐसे समन या वारंट की तामील उसमें नामित व्यक्ति पर करे ।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि ऐसा समन या वारंट यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के प्राधिकारी को, भेजे जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

[फा. सं. 2/3/93-जूडि. सेल]

एस.पी. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 1995

S.O. 476(E).—Whereas arrangements have been made with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for service of summons or warrant. in relation to criminal matters, on any person in the United Kindgom of

Great Britian and Northern Ireland, the Central Government, in pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of Section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), hereby directs that—

(a) a summons to an accused person, or

(b) a warrant for the arrest of an accused person, or

(c) a summons to any, person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it, or

(d) search warrant;

shall be issued by a Court in India, in duplicate, to the competent Criminal Court having authority, under the law in force in that country, through the Central authority in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, directing that Court to serve such summons or execute such warrant on the person named therein.

2. The Central Government further directs that such summons or warrant shall be sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the authority in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

[F. No. 2|3|93-Judl. Cell]

M. P. SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1995

का.आ. 477 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (2) के अनुसरण में यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड में सक्षम दंड न्यायालय को, जिसे उस देश मे प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त हो, आपराधिक मामलों के संबंध में किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम समन, या किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट, या किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला ऐसा कोई समन कि वह कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे, ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो आपराधिक मामलों के संबंध में भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों को समन या वारंट जारी कर सकेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि ऐसी दशा में जहां यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से प्राप्त किसी समन या तलाशी वारंट की तामील हो चुकी है, वहां पेश की गई दस्तावेजों या चीजें या तलाशी के दौरान मिली चीजें, समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को, यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड में केन्द्रीय प्राधिकारी को भेजने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजी जाएंगी।

[फा. सं. 2/3/93-जुडि.सेल]

एम.पी. सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 1995

S.O. 477(E).—In pursuance of sub-section (2) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies the competent Criminal Court in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and having authority, under the law in force in that country, to issue summons to an accused person, or a warrant for the arrest of an accused person, or summons to any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it in relation to criminal matters as the Court by which such summons or warrant may be issued to persons residing in India in relation to criminal matters.

2. The Central Government further directs that in a case where a summons of search warrant received from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has been executed, the documents or things produced or things found in the search shall be forwarded to the Court issuing the summons or search warrant through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in the United Kindgom of Great Britain and Northern Ireland.

[F. No. 2|3|93-Judl. Cell]

M. P. SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1995

का.आ. 478 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उपधारा (1) के अनुसरण में यह निदेश देती है कि भारत में के किसी न्यायालय का किसी व्यक्ति को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए गिरफ्तारी के लिए यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के किसी स्थान में निष्पादित किया जाने वाला वारंट इससे उपाबद्ध प्रारूप में जारी किया जाएगा और ऐसा वारंट दो प्रतियों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड में केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किए जाने के लिए भेजा जाएगा।

प्ररूप

साक्षी को लाने के लिए वारंट

(धारा 105ख देखिए)

प्रेषिती

यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का सक्षम दंड न्यायालय

(केन्द्रीय प्राधिकारी, यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के माध्यम से)

मेरे समक्ष यह परिवाद किया गया है कि ———— (पता) के ———— (अभियुक्त का नाम और वर्णन) ने ———— (अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है (या सन्देह है कि उसने किया है), और यह संभावना प्रतीत होती है कि ———— (साक्षी का नाम और वर्णन) उक्त परिवाद से संबंधित साक्ष्य दे सकता है; और यह प्रतीत होता है कि उक्त साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है। और मेरे पास यह विश्वास करने का अच्छा और पर्याप्त कारण है कि वह तब तक हाजिर नहीं होगा या निम्नलिखित दस्तावेज या अन्य चीजें पेश नहीं करेगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए विवश न किया जाए :

(1) } (यहां उन दस्तावेजों और चीजों की सूची दें जो
(2) } पेश की जानी हैं)
(3) }

मुझे ———— को, यह अनुरोध करना है और इसके द्वारा मैं यह अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए आप उक्त (साक्षी का नाम) को गिरफ्तार कराएंगे और ऐसे व्यक्ति से ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज या चीज जो उसके कब्जे में है, पेश करने की अपेक्षा भी करेंगे तथा उस व्यक्ति को अभिरक्षा में लिए गए दस्तावेजों या चीजों सहित गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से मेरे पास भेजेंगे।

तारीख ———— को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन दिया गया।

न्यायालय की मुद्रा न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट

[फा. सं. 2/3/93—न्या. सेल]
एम. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 1995

S.O. 478(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that a warrant from a Court in India for arrest of a person to attend or produce a document or other thing, to be executed in any place in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall be issued in the form annexed hereto and that such warrant shall be sent in duplicate to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central Authority in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

FORM

WARRANT TO BRING UP A WITNESS
(See section 105B)

TO

The Competent Criminal Court of
the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland

(Through the Central authority, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland))

Whereas complaint has been made before me that *(name and description of the accused)* or *(address)* has (or is suspected to have) committed an offence of (mention the offence concisely), and it appears likely that (name and description of witness) can give evidence concerning the said complaint, and whereas it appears that the said witness is residing within the local limits of your jurisdiction. And whereas I have good and sufficient reason to believe that he will not attend or produce the following documents or other things unless compelled to do so :

(i) } Here give the list of
(ii) } documents or things to be
(iii) } produced.

I, ————, have the honour to request and hereby do request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to cause the said (Name of the witness) to be arrested and also require such person to produce the document or thing listed above which may be in his possession and to forward the person in custody alongwith the documents or things to the undersigned through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this ———— day of ———— 199 .

Seal of the Court Judge|Magistrate

[F. No. 2|3|93-Judl. Cell]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1995

का.आ. 479(अ).—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह निदेश देती है कि किसी आपराधिक मामले में अन्वेषण या जांच के दौरान किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिये यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के किसी स्थान में तामील और निष्पादित किये जाने वाले, यथास्थिति, समन या वारंट, इससे उपाबद्ध, यथास्थिति, प्ररूप "क" या प्ररूप "ख" में जारी किये जायेंगे और ऐसे समन या वारंट यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड में केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किये जाने के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजे जायेंगे।

प्ररूप "क"

साक्षी को समन

[धारा 105ख की उपधारा (2) देखिए]

प्रेषिती

मेरे समक्ष यह आवेदन किया गया है कि ———— (पता) के ———— (अभियुक्त का नाम) ने ———— (समय और स्थान) सहित अपराध को

संक्षेप में लिखिए) का अपराध किया है (यह संदेह है कि उसने किया है) और मुझे यह प्रतीत होता है कि यह संभावना है कि आप अभियोजन के लिये तात्विक साक्ष्य देंगे या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करेंगे ;

इसके द्वारा आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त आवेदन के विषय से संबंधित आप जो कुछ जानते हैं उसका साक्ष्य देने के लिये न्यायालय के समक्ष तारीख————को पूर्वाह्न में ठीक दस बजे हाजिर हों और उसके पश्चात् न्यायालय के आदेश के बिना न जायें, और आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि आप उस तारीख को न्यायसंगत हेतुक के बिना हाजिर होने में उपेक्षा करेंगे या उससे इन्कार करेंगे, तो आपको हाजिर कराने के लिये वारंट जारी किया जायेगा।

तारीख———— हस्ताक्षर

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप "ख"

साक्षी को लाने का वारंट

[धारा 105ख की उपधारा (2) देखिए]

प्रेषिती

————————

यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का सक्षम दंड न्यायालय

(केन्द्रीय प्राधिकारी, यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के माध्यम से)

मेरे समक्ष आवेदन किया गया है कि———— पता के————(अभियुक्त का नाम और वर्णन) ने ————(समय और स्थान सहित अपराध को संक्षेप में लिखिए) का अपराध किया है और मुझे यह प्रतीत होता है कि यह संभावना है कि (साक्षी का नाम और वर्णन) अभियोजन के लिये तात्विक साक्ष्य देगा या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करेगा, और उक्त साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है; और मेरे पास विश्वास करने का अच्छा और पर्याप्त कारण है कि वह उक्त मामले के अन्वेषण या जांच में तब तक हाजिर नहीं होगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिये विवश न किया जाये;

मुझे————को, यह अनुरोध करता है, और इसके द्वारा मैं यह अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिये आप उक्त (व्यक्ति का नाम) को गिरफ्तार करायेंगे और उसे गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से मेरे पास अभिरक्षा में भेजेंगे।

तारीख————को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन दिया गया।

न्यायालय की मुद्रा।

न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट

[फाइल सं. 2/3/93–न्या. सेल.]

एम.पी. सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 1995

S.O. 479(E).—In pursuance of sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that summons or warrant, as the case may be, for attendance of a person during the investigation or inquiry in any criminal case, to be served or executed in any place in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall be issued in the forms A or B annexed hereto, as the case may be, and such summons or warrant shall be sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central authority, in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

FORM - A

SUMMONS TO WITNESS

[See sub-section (2) of Section 105B]

To

. . . .

. . . .

Whereas application has been made before me that (Name of the accused) of (address) has (or is suspected to have) committed the offence of (state the offence concisely with time and place) and it appears to me that you are likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution;

You are hereby summoned to appear before the Court on the————day of————next at 10 O'clock in the forenoon to produce such document or thing or to testify what you know concerning the matter of the said application, and not to depart then without the order of the Court, and you are hereby warned that, if you shall without just cause neglect or refuse to appear on the said date, a warrant will be issued to compel your attendance.

Dated, this————day of————199 .

Seal of the Court Signature

FORM - B

WARRANT TO BRING UP A WITNESS
[See sub-section (2) of Section 105B]

To

The Competent Criminal Court of
the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland.

(Through the Central Authority, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

Whereas application has been made before me that,————(name and description of the accused) ———— of (address) has (or is suspected to have) committed an offence of ———— (state the offence concisely with time and place) and it appears to me that———— (name and description of witness) is likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution; and whereas the said witness is residing within the local limits of your jurisdiction; and whereas I have good and sufficient reason to believe that he will not attend the investigation or inquiry of the said case unless compelled to do so;

I, ————, have the honour to request and hereby do request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to cause the said ———— (name of person) to be arrested and to forward him in custody to the undersigned, through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this————day of————199 .

Seal of the Court Judge/Magistrate

[F. No. 2/3/93-Judl. Cell]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1995

का.आ. 480(अ)—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ट के अनुसरण में यह निदेश देती है कि संविदाकारी राज्य को पारेषित किया जाने वाला भारत में के किसी दंड न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रत्येक अनुरोधपत्र, समन या वारंट संविदाकारी राज्य को आगे पारेषण के लिये भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को इससे उपाबद्ध प्ररूप "क" में अग्रेषित किया जायेगा,

और केन्द्रीय सरकार आगे यह निदेश देती है कि संविदाकारी राज्य से प्राप्त प्रत्येक अनुरोधपत्र, समन या वारंट भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भारत में के सक्षम दण्ड न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्धों के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसरण में, निष्पादन के लिये इससे उपाबद्ध प्ररूप "ख" में भेजा जायेगा।

प्ररूप "क"

प्रेषिती,

गृह मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

इस न्यायालय द्वारा ...... (यहां देश के नाम का उल्लेख करें) में निष्पादन के लिये अनुरोधपत्र/समन/वारंट (जो लागू न हो उसे काट दें) जारी किया गया है,

और उक्त अनुरोधपत्र/समन/वारंट (जो लागू न हो उसे काट दें) .... (यहां देश के नाम का उल्लेख करें) राजनयिक माध्यम से सक्षम दंड न्यायालय को भेजा जाना अपेक्षित है, मुझे ————को, यह अनुरोध करना है और मैं इसके द्वारा यह अनुरोध करता हूं कि इस न्यायालय की सहायता के लिये आप उक्त अनुरोधपत्र/समन/वारंट (जो लागू न हो उसे काट दें)———— (यहां देश के नाम का उल्लेख करें) से सक्षम प्राधिकारी को उस देश में प्रवृत्त विधि के अनुसार निष्पादन के लिये पारेषित कराएंगे।

तारीख ————को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन दिया गया।

न्यायालय की मुद्रा न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट

प्ररूप "ख"

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख

प्रेषिती

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला
राज्य
(पूरा पता)

भारत में निष्पादन के लिए अनुरोधपत्र/समन/वारंट (जो लागू न हो उसे काट दें) .... (यहां उस न्यायालय और देश के नाम का उल्लेख करें जिस से अनुरोधपत्र/समन/वारंट प्राप्त किया गया है) से प्राप्त किया गया है।

और यह प्रतीत होता है कि मामला आपकी अधिकारिता के भीतर है।

गृह मंत्रालय को यह अनुरोध करना है और वह इसके द्वारा यह अनुरोध करता है कि उक्त न्यायालय (यहां उस न्यायालय और देश के नाम का उल्लेख करें जिससे अनुरोध/समन/वारंट प्राप्त किया गया है) की सहायता के लिए आप दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

के उपबन्धों के या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार उक्त अनुरोधपत्र/समन/वारंट निष्पादित कराएंगे।

गृह मंत्रालय की मुद्रा

हस्ताक्षर

अवर सचिव / उप सचिव/निदेशक,

भारत सरकार

[फा. सं 2/3/93 न्यायिक सैल]

एम. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 1995

S.O. 480(E).— In pursuance of Section 105K of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that every letter of request, summons or warrant issued by any Criminal Court or any competent authority in India to be transmitted to a contracting State shall be forwarded to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, New Delhi in Form 'A' annexed hereto for onward transmission ti the contracting State :

And the Central Government further directs that every letter of request, summons or warrant received from a contracting State shall be sent by the Government of India in the Ministry of Home Affairs to the competent Criminal Court in India in Form 'B' annexed hereto for execution in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), or any other law for the time being in force.

FORM 'A'

To

The Ministry of Home Affairs,

Government of India,

New Delhi.

Whereas a letter of request|summons|warrant (delete whichever is not applicable) has been issued by this Court for execution in————— (here mention the name of the country);

And whereas the said letter of request|summons| warrant (delete whichever is not applicable) is required to be sent to the competent Criminal Court in—— ————— (here mention the name of the country) through diplomatic channel;

I,————, have the honour to request and hereby do request that for the assistance of this Court, you will be pleased to cause the said letter of request| summons|warrant (delete whichever is not applicable) to be transmitted to the competent authority in——— —————————(here mention the name of the country) for execution in accordance with the law in force in that country.

Given under my hand and seal of the Court this————day of ——————199 .

SEAL OF THE COURT JUDGE|MAGISTRATE

FORM 'B'

Government of India

Ministry of Home Affairs

New Delhi
dated the

To

The Chief Judicial Magistrate,
District
State

(complete address)

Whereas a letter of request|summons|warrant (delete whichever is not applicable) has been received from....(here mention the name of the Court and the country from which request|summons|warrant has been received) for execution in India.

And whereas it appears that the matter is within your jurisdiction;

The Ministry of Home Affairs have the honour to request and hereby do request that for the assistance of the said Court——————— (here mention the name of the Court and the country from which request|summons|warrant has been received) you will be pleased to cause the said letter of request| summons|warrant to be executed in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), or any other law for the time being in force.

SEAL OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Signature

Under Secretary|Deputy Secretary|Director to the Government of India.

[F. No. 2|3|93-Judl. Cell]

M. P. SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1995

का. आ. 481(अ).—केन्द्रीय सरकार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 166क की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 444 (अ) तारीख 4 जून, 1990 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में "इंटरपोल विंग केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली-110003" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, 110001" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2/3/93-जुडि.सेल]

एम. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 1995

S.O. 481(E).—In pursuance of sub-section (2) of Section 166A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby amend the Government of India in the Ministry of Home Affairs notification No. S.O. 444(E), dated the 4th June, 1990, as follows :—

In the said notification for the words and figures "Interpol Wing, Central Bureau of Investigation, Government of India, New Delhi-110003", the words and figures "Government of India in the Ministry of Home Affairs, New Delhi-110001" shall be substituted.

[F. No. 2/3/93-Judl. Cell]

M. P. SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1995

का. आ. 482(अ).— केन्द्रीय सरकार, जिसने यूनाईटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलेंड की सरकार से भारत के न्यायालयों में आपराधिक मामलों के संबंध में यूनाईटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलेंड में निवास करने वाले साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ठहराव कर रखे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उपधारा (3) के अनुसरण में और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1014, तारीख 5 मई, 1955 के उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि (क) यूनाईटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलेंड में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन इससे उपाबद्ध प्ररूप में भारत के न्यायालयों द्वारा यूनाईटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के किसी सक्षम दंड न्यायालय को, जिसे यूनाईटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलेंड में प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, जारी किया जाएगा (ख) ऐसा कमीशन यूनाईटेड किंगडम में केन्द्रीय प्राधिकारी को भेजे जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

न्यायालय

भारत से बाहर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन (दंड प्रक्रिया-संहिता 1973 की धारा 285 (3) देखिए)

प्रेषिती

गृह मंत्रालय

भारत सरकार के माध्यम से

मुझे यह प्रतीत होता है कि मामला संख्या .... बनाम .... न्यायालय .... में .... का साक्ष्य आवश्यक है और ऐसा साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर निवास कर रहा है और उसकी हाजिरी अनुचित विलंब, व्यय या असुविधा के बिना नहीं कराई जा सकती है, मैं ....

आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उपरोक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए उक्त साक्षी को समय और स्थान पर, जो आप नियत करें, हाजिर होने के लिए समन कर और ऐसे साक्षी की परीक्षा उन परिप्रश्नों (मौखिक परीक्षा के लिए) के आधार पर करवाए जो इस कमीशन के साथ भेजे जा रहे हैं।

कार्यवाही का कोई पक्षकार आपके समक्ष काउंसेल या अभिकर्ता द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है, तो स्वयं हाजिर हो सकेगा और (यथास्थिति) उक्त साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा कर सकेगा।

और मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप उक्त साक्षी के उत्तर लिखवाएं और सभी बहियों, पत्रों, कागजों और दस्तावेजों को, जो ऐसी परीक्षा के दौरान पेश किए जाएं, पहचान के लिए सम्यक रूप से चिन्हित कराएं और आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप ऐसी परीक्षा को अपनी सरकारी मुद्रा (यदि कोई हो) और अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करें और उसे इस कमीशन के साथ अधोहस्ताक्षरी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजें।

तारीख .... 199 मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्राधीन प्रदत्त।

न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट

[फा. सं. 2/3/93 जुडि. सैल]

एस. पी. सिंह, संयुक्त सचिव,

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 1995

S.O. 482(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for taking the evidence of witnesses residing in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in relation to criminal matters in Courts in India, the Central Government in pursuance of sub-section (3) of Section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs S.R.O. No. 1014 dated the 5th May, 1955, except as respects things done or omitted to be done before the supersession, hereby directs that (a) Commission for examination of witnesses in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall be issued by the Courts in India in the form annexed hereto, to any competent Criminal Court of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland having authority under the law in force in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, (b) such Commission shall be sent to the Ministry of Home Affairs, Govern-

ment of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in the United Kingdom.

IN THE COURT OF..............

Commission to examine witness outside India (Section 285(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973).

To

....

Through the Ministry of Home Affairs,
Government of India, New Delhi.

Whereas it appears to me that the evidence of——————————is necessary for the ends of justice in case No. ———— Vs. ———— in the Court of ———————— and that such witness is residing within the local limits of your jurisdiction and his attendance cannot be procured without unreasonable delay, expense or inconvenience, I,————————, have the honour to request and do hereby request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to summon the said witness to attend at such time and place as you shall appoint and that you will cause such witness to be examined upon the interrogatories which accompany this Commission (for viva voce).

Any party to the proceeding may appear before you by his counsel or agent or, if not in custody, in person, and may examine, cross-examine or re-examine (as the case may be) the said witness.

And I further have the honour to request that you will be pleased to cause the answers of the said witness to be reduced into writing and all books, letters, papers and documents produced upon such examination to be duly marked for identification and that you will be further pleased to authenticate such examination by your official seal (if any) and by your signature and to return the same together with this Commission to the undersigned through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this———— day of————————199 .

SEAL OF THE COURT JUDGE|MAGISTRATE

[F. No. 2|3|93-Judl. Cell]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 मई, 1995

का. आ. 483 (अ):— केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 290 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना का. नि. आ. सं. 2162, तारीख 18 नवम्बर, 1953 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यूनाईटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के ऐसे सभी सक्षम दंड न्यायालयों को, जिनके पास यूनाईटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड में प्रवृत्त विधि अधीन प्राधिकार हैं, ऐसे न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है जिनके द्वारा भारत में निवास कर रहे साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जा सकेगा।

[फा. सं. 2/3/93 न्यायिक सैल]
एम. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 1995

S.O. 483(E).—In pursuance of clause (b) of sub-section (2) of Section 290 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs S.R.O. No. 2162 dated the 18th November, 1953, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies all competent Criminal Courts of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland having authority, under the law in force in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Courts by whom Commission for the examination of witnesses residing in India may be issued.

[F. No. 2|3|93-Judl. Cell]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1995

का. आ. 484 (अ):— केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि यूनाईटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 7 क के उपबंध बिना किसी शर्त, अपवाद या अर्हता के इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. 2/3/93 जुडि. सेल]
एम. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 1995

S.O. 484(E).—In exercise of the powers conferred by Sectiin 105L of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that the provisions of Chapter VIIA of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply without any condition, execution or qualification in relation to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 2|3|93-Judl. Cell]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995